

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2003 ई०
आश्विन 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग

संख्या-262/नौ0-1-सिं0 (स्थापना)/2003 देहरादून, 17 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, वैज्ञानिक संवर्ग सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "क", "ख" व "ग" में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग)
सेवा नियमावली (समूह "क", "ख" व "ग"), 2003

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली "सिंचाई विभाग, उत्तरांचल की वैज्ञानिक संवर्ग (समूह "क", "ख" व "ग") सेवा नियमावली, 2003" कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रारिथिति-

उत्तरांचल सिंचाई विभाग की वैज्ञानिक संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क", "ख" व "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं—

जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाये;
- (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "समिति" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति से है;
- (ङ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
- (च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;
- (छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के अपने-अपने संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
- (झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल की वैज्ञानिक संवर्ग (समूह "क" "ख" व "ग") की राज्य सेवा से है;
- (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग दो—संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग—

सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट (क) में दी गई है अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

परन्तु

राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग तीन—भर्ती

5— भर्ती का स्रोत—

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—

(क) प्रतिरूप सहायक—

इस सेवा के पदों पर सीधी भर्ती ऐसे अभ्यर्थियों से जो नियम 8 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा जिनके नाम उत्तरांचल के विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हो, से आवेदन—पत्र आमन्त्रित कर एक चयन समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

(ख) वैज्ञानिक सहायक—

इस सेवा के,

(एक) 30 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती ऐसे अभ्यर्थियों से जो नियम 8 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता रखते हो तथा जिनके नाम उत्तरांचल के विभिन्न सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत हो, से आवेदन—पत्र आमन्त्रित कर एक चयन समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

(दो) 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे प्रतिरूप सहायकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ग) शोध पर्यवेक्षक—

इस सेवा के पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक सहायकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(घ) सहायक शोध अधिकारी—

(1) इस सेवा के 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी।

(2) इस सेवा के 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे शोध पर्यवेक्षकों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ङ) शोध अधिकारी—

(1) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण से की जायेगी।

(2) इस सेवा के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती विभाग में कार्यरत ऐसे सहायक शोध अधिकारियों में से, अनुपयुक्त को छोड़ते हुये, पदोन्नति द्वारा की जायेगी जिन्होंने अपने पद पर भर्ती के वर्ष की एक जुलाई को सात वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

6. आरक्षण—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार—अर्हताएं

7— राष्ट्रीयता—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा या युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया या उसके पक्ष में जारी किया जा रहा है।

8— शैक्षिक अर्हताएं—

(1) प्रतिरूप सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक-विज्ञान अथवा रसायन-शास्त्र विषयों में (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

- (2) वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक-विज्ञान अथवा रसायन-शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

9- अधिमानी अर्हताएं-

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और/अथवा नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातें समान होने पर, सेवा में सीधी भर्ती के संबंध में अधिमान दिया जायेगा।

10- आयु-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को प्रतिरूप सहायक के पद हेतु 18 वर्ष एवं वैज्ञानिक सहायक के पद हेतु 21 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु,

प्रतिबंध यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

परन्तु, किसी भी मामले में अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. चरित्र-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र अनिवार्यतः ऐसा होना चाहिए कि वह सरकार की सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु,

सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता—

कोई भी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जायेगा जबकि उसका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु,

पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का निर्धारण—

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी निर्धारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15 सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

प्रतिरूप सहायक/वैज्ञानिक सहायक—

- (1) इस सेवा के पदों, यथास्थिति, की सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा :—

(क) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)	अध्यक्ष
(ख) अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की)	सदस्य
(ग) शोध अधिकारी	सदस्य

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी, जो एक स्तर से निम्न का न हो समिति का सदस्य रहेगा।

- (2) सीधी भर्ती हेतु समिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हो।

- (3) समिति अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और अपेक्षित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी।
- (4) समिति अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग्यता क्रम में उनकी सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर हो तो, पद के लिये सामान्य उपयुक्तता के आधार पर अभ्यर्थी का नाम योग्यता क्रम में सूची में पहले रखा जायेगा। योग्यता क्रम सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

(क) वैज्ञानिक सहायक/शोध पर्यवेक्षक-

(1) यथास्थिति, इस सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :-

(प) मुख्य अभियन्ता (सम्बन्धित अधिष्ठान)	अध्यक्ष
(पप) अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की)	
सदस्य		
(पपप) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक)	
सदस्य		

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हो, समिति का सदस्य रहेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति के लिये विचार हेतु प्रस्तुत करेगा।
- (3) चयन समिति उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और योग्यता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।
- (4) समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, रिक्त पद पर उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी सूची में से नियुक्ति की जायेगी।

(ख) सहायक शोध अधिकारी/शोध अधिकारी-

यथास्थिति इस सेवा के पदों पर भर्ती पदोन्नति द्वारा, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के

परामर्श से चयन द्वारा प्रोन्नति (प्रक्रिया), उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी'।

17. संयुक्त चयन सूची—

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छ:—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति—

मूल पदों की रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से नियुक्त किया जायेगा :—

- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा। सहायक शोध अधिकारी/शोध अधिकारी की नियुक्तियाँ राजकीय राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।
- (2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी है, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और उपर्युक्त नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।
- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया है उसमें जिस स्थान पर उनका नाम हो, यथास्थिति, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, चयन में निर्धारित अथवा यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

19. परिवीक्षा—

- (1) सेवा में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गई है।

परन्तु

अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा उसका कार्य अन्यथा संतोषजनक नहीं रहा हो तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है।

20. स्थायीकरण—

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, यथास्थिति, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये :

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा

उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता—

सेवा में मूल से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

22. वेतनमान—

- (1) सेवा के किसी संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगा।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट (क) में दिये गये हैं।

23. परिवीक्षा अवधि में वेतन—

नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय—समय में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

परन्तु,

यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन—

किसी पद पर सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी अन्य संस्तुति पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन—

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू होते हैं।

26. सेवा शर्तों में शिथिलता—

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु

जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व उस निकाय (आयोग) से परामर्श किया जायेगा।

27. व्यावृत्ति—

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों या व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-‘क’

(नियम-4 का भाग-2 तथा नियम-22 का भाग-7 देखिये)

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	प्रतिरूप सहायक	3050-4590	
2	वैज्ञानिक सहायक	4500-7000	
3	शोध पर्यवेक्षक	5000-8000	
4	सहायक शोध अधिकारी	8000-13500	
5	शोध अधिकारी	10000-15200	

आज्ञा से
एम० रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 262/IX-1-Sin .12003, dated October 17, 2003 for general information;

No. 262/IX-1-Sin./2003 Dated Dehradun, October 17, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the provision to Article]09 of the Constitution and in supersession of all existing rules & orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific cadre :-

UTTARANCHAL SERVICE OF SCIENTIFIC CADRE (IRRIGATION DEPARTMENT) (GROUP "A", "B" & "C") RULES, 2003

Part I- General

1. Short title and Commencement

- (1) These rules may be called the "Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific Cadre (Group "A", "B" & "C"), Rules, 2003",
- (2) They shall come into force with immediate effect.

2. Status of the Service

The Irrigation Department Uttaranchal Service of Scientific Cadre is a State Service, comprising Group "A", "B" & "C" posts.

3. Definitions

In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context~-

- (a) "Appointing Authority" means an officer duly authorised by the competent authority to make such an appointment;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;
- (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) "Committee" means such a Selection Committee formed by the competent authority;
- (e) "Constitution" means the Constitution of India;
- (f) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (g) "Governor"-' means the Governor of Uttaranchal;
- (h) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post, in the respective cadre of the Service;
- (i) "Service" means the Uttaranchal Service of Scientific Cadre is a State Service comprising group "A", "B" & "e" posts of Irrigation Department;
- (j) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in. accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

- (k) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part II-- Cadre

4. Cadre of the Service

The strength of the Service in each cadre and number of posts of various categories therein shall be such as specified in Appendix-A or may be determined by the Government from time to time.

Provided that,

The Governor may leave unfilled or may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

Part III-- Recruitment

5. Source or Recruitment

The Recruitment to the post of the Service shall be made from the following sources:--

A. Model Assistant

Direct recruitment through a selection committee by inviting applications from such candidates whose names are enrolled in various offices of employment exchange in Uttaranchal and having the Academic Qualifications as specified in Rule-8.

B. Scientific Assistant

- (1) Recruitment to 30% posts of the service shall be made directly through a Selection committee by inviting applications from such candidates whose names are enrolled in various offices of employment exchange in Uttaranchal and having the Academic Qualifications as specified in Rule-8.
- (2) Recruitment to 70% posts of the service shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Model Assistants who have completed the continuous service of 5 years on the first July of the year of recruitment.

C. Research Supervisor

Recruitment to the post of Research Supervisor shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Scientific Assistants who have completed the continuous service of 5 years on the first July of the year of recruitment.

D. Assistant Research Officer

- (1) Recruitment to 25% posts of Assistant Research Officer shall be made by transfer of Assistant Engineers working in the department.

- (2) Recruitment to 75% posts of Assistant Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Research supervisors who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.

E. Research Officer

- (1) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by transfer of Executive Engineers working in the department.
- (2) Recruitment to 50% posts of Research Officer shall be made by promotion from amongst, subject to reject unfit, such Assistant Research Officers who have completed the continuous service of 7 years on the first July of the year of recruitment.

6. Reservation

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of Government in force at the time of the recruitment.

Part IV-- Qualifications

7. Nationality

A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or,
- (c) A person of Indian origin as migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any or the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will 'also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such

a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualifications

- (1) A candidate for direct recruitment to the post of Model Assistant must possess Academic qualifications of (10+2) passed or equivalent from a recognized institution in Mathematics with Physics or Chemistry.
- (2) A candidate for direct recruitment to the post of Scientific Assistant must possess Academic qualification of Bachelor's Degree or equivalent from a recognized institution in Mathematics with Physics or Chemistry.

9. Preferential Qualifications

A candidate who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or obtained a "B" certificate on National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. Age

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years for the post of Model Assistant and 21 years for the post of Scientific Assistant and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year.

Provided that the upper age-limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Provided that in no case the upper age limit shall be more than 45 years.

11. Character

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. It shall be the duty of the Appointing authority to satisfy himself about the character of the candidate.

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation for the rule.

13. Physical Fitness

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to submit fitness certificate from Chief Medical Officer of the District under Principal Rule-10 of the Financial Hand Book V of 2 Part 2 to 4.

Provided that a Medical Certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part V--Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies

The appointing authority shall determine and inform the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other categories under Rule 6.

15. Procedure for Direct Recruitment

(1) In order to fill in the vacancies of, as the case may be, Model Assistant/Scientific Assistant under the Service, the Appointing Authority shall constitute a committee as follows :-

- | | |
|---|----------------|
| (A) Superintending Engineer (Personnel) | Chairman |
| (B) Superintending Engineer (I.R.I., Roorkee) | Member |

(C) Research Officer Member

If any of the above does not belong to Scheduled Caste/Tribe, then the Appointing Authority shall nominate a member of such community, who is not below by one rank.

- (2) For direct recruitment the Chairman of the Committee shall invite applications, by publishing the advertisement in the newspapers, from such candidates whose names are enrolled in the offices of District Employment Exchange of Uttaranchal.
- (3) The Committee shall scrutinise these applications and call the candidates for interview who fulfill the required qualifications.
- (4) The Committee shall prepare a list in the order of merit according to the marks obtained by the candidates in interview. In case of two or more candidates obtaining equal marks in total, the name of the candidate shall be kept at higher merit in the list according to their general suitability for the number of candidates in the merit list shall be excess but not more than 25% of the vacancies. The list shall be forwarded to the Appointing Authority.

16. Procedure for Recruitment by Promotion

(A) Scientific Assistant/Research Supervisor

- (1) In order to fill in the vacancies of, as the case may be, Model Assistant/Scientific Assistant under the Service, the Appointing Authority shall constitute a Committee as follows:-

{A) Chief Engineer of Concerned to Establishment	Chairman
(B) Superintending Engineer (I.R.I., Roorkee)	Member
(C) Superintending Engineer (Personnel)	Member

If any of the above does not belong to Scheduled Caste/Tribe, then the Appointing Authority shall nominate a member of such community, who is not below by one rank.

- (2) The Appointing Authority shall prepare a list according to the seniority of the candidates and submit it, along with the character rolls and such other documents which are considered necessary, to the Selection Committee for considering the promotion.
- (3) The Committee shall consider the names according to the documents submitted under Sub-Rule (2) and shall select the candidates on the basis of merit, Subject to reject unfit.

- (4) The Committee shall prepare a list of the selected candidates in accordance with the seniority and submit to the Appointing Authority.
- (5) Appointing Authority shall, as the case may be, recruit the candidate from the list prepared in Sub-Rule (4), to the vacant post.

(B) Assistant Research Officer/Research Officer

As the case may be, the recruitment by promotion to the posts of this service, shall be made on the basis of seniority, subject to reject unfit, in accordance with "Consultation to Uttaranchal Public Service Commission for promotion by selection (procedure) Uttar Pradesh Service Rules, 1970", as amended from time to time.

17. Combined Selection List

If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

The persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from feeding cadre having lower pay scale.

Part VI-Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

18. Appointment

On the availability of vacancies for substantive post the appointing authority shall appoint the candidates in the following manner :-

- (1) The appointing authority shall make the appointment of the candidates in the same order as their names appear in the list prepared, as the case may be, under Rule 15, 16 or 17, subject to conditions of Sub-Rule (2). The recruitments to the posts of Assistant Research Officer/Research Officer shall be published in Government Gazette.
- (2) Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with Rule 17 above.
- (3) If more than one orders of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as it stood in the cadre from which they are promoted, as the case may be. If the

appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 17 above.

19. Probation

- (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.
- (2) The Appointing Authority may for reasons to be recorded extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

- (3) If it appears to the Appointing Authority, at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise not given satisfaction, he may be removed to substantive post, if any, and if he is not holding a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer, who is removed or whose service is dispensed with under sub-rule (3) above, shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Appointing Authority may allow to include the period of continuous officiating or temporary service on any post of the cadre or equivalent or higher post for calculating the probation period.

20. Confirmation

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory;
- (b) his integrity is certified; and
- (c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

21. Seniority

The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servant Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part VII -Pay etc.

22. Scales of Pay

- (1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay prevailing at the beginning of these rules are shown in Appendix (A).

23. Pay during Probation

Notwithstanding any provision in the Rules to the contrary, a person on probation; if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale after he has completed one year of satisfactory service.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Part VIII -Other Provisions

24. Canvassing

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. Regulation of Other Matters

In regard to the matters not specifically covered by their rules of special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

26. Relaxation from the Conditions of Service

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service that causes undue hardship in' any particular case, it may in consultations with Commission, notwithstanding anything contained in the rules applicable to be case, by order dispensed with or relax. The requirement of that rule to such extent and Subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that where a rule has been framed is consultation with the commission that commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

27. Savings

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Sl. No.	Name of Post	Pay scale	No. of Posts
1	2	3	4
1	Model Assistant	3050-4590	
2	Scientific Assistant	4500-7000	
3	Research Supervisor	5000-8000	
4	Assistant Research Officer	8000-13500	
5	Research Officer	10000-15200	

-Sd-
M. RAMCHANDRAN,
Principal Secretary.